

कार्यालय जिला कलेक्टर(रसद), कोटा

<https://kota.rajasthan.gov.in>

दूरभाष: 0744-2451200, 0744-2323883, 0744-2451100

ईमेल: dm-kot-rj@nic.in, rajkot@nic.in

क्रमांक: रसद/एफपीएस/2025-5006-08032-7569714

दिनांक: डिजिटल ह. तिथि

:विज्ञप्ति :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु संचालन के लिए, जिला कोटा में "राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976" के तहत इस आदेश से संलग्न सूची में इंगित कुल 20 रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के स्थान/केंद्र, जिनका पूर्ण विवरण इस आदेश के साथ संलग्न सूची पर है, के आवंटन हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन निम्न शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त उल्लेखित उचित मूल्य की दुकानों का तहसीलवार/क्षेत्रवार संक्षिप्त विवरण निम्न है,

	नगर निगम कोटा	रामगंजमण्डी नगर पालिका
रिक्त	17	02
नवसृजित	01	00
कुल	18	2

1. आवेदन फॉर्म भरने की समय-सीमा, आवेदन शुल्क एवं जमा करने की प्रक्रिया:

- (1) आवेदन आरम्भ होने की तिथि: 08.10.2026
- (2) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि/समय: 28.10.2026 (शाम 5 बजे तक)
- (3) आवेदन पत्र का शुल्क ₹100 है जो अप्रतिदेय रहेगा। जिला रसद कार्यालय, कोटा में निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा कराकर प्राप्त किया जायेगा। अन्य किसी स्रोत/स्थान से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (4) पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ उक्त अंतिम तिथि/समय तक जिला रसद कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
- (5) आवेदन जारी करने का कार्य और जमा करने का कार्य राजकीय कार्य दिवसों (राजकीय अवकाश छोड़ कर) में कार्यालय समय में किया जायेगा। नियत अवधि और समय के बाद आवेदन नहीं लिए जायेंगे।

2. महत्वपूर्ण जानकारी:

- (1) नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 और उसके बाद जारी हुए सभी आदेशों, परिपत्रों और पत्रों के नियमों के तहत की जाएगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी कोटा के जिला रसद कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान देखी जा सकती है। यह आदेश विभाग की वेबसाइट <https://food.rajasthan.gov.in/orders.aspx> पर भी उपलब्ध है।
- (2) नियुक्ति प्रक्रिया की समस्त कार्यवाही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 और इसकी निरंतरता में जारी आदेश, परिपत्र और पत्रों में दर्ज प्रावधानों के अधीन रहेगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय, कोटा, जिला कलेक्टर में आमजन के अवलोकन के लिए कार्यालय समय में उपलब्ध है। उक्त आदेश दिनांक 17.03.2016 विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- (3) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों में जिला कोटा के लिए केवल 30% महिला क्षैतिज आरक्षण है, जिसके लिए पारदर्शिता से लॉटरी ड्रा आयोजित करते हुए स्थान निर्धारित किये जा कर केंद्र के सम्मुख आरक्षित और अनारक्षित इंगित किया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार जिला कोटा में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति या अन्य किसी वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान नहीं हैं।
- (4) महिला क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था से पात्रता की पूर्व में विहित अन्य किसी शर्त में कोई छूट देय नहीं होगी। महिलाओं द्वारा अनारक्षित वर्ग के स्थानों के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा।
- (5) महिला क्षैतिज आरक्षण की आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही सीटों के लिए, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवेदकों का चयन वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। यह वरीयता क्रम दिनांक 17.03.2016 के आदेश के बिंदु संख्या 5 के अनुसार होगा।
- (6) सफल अभ्यर्थी को "राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976" के खंड 3 के तहत 60 वर्ष की उम्र तक के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दुकान के मापदण्ड पूर्ण करने होंगे और कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।
- (7) सफल अभ्यर्थी को उचित मूल्य दुकान का परिसर, रिक्त दुकान के निर्धारित वितरण क्षेत्र के मध्य में स्थापित करनी होगी। दुकान ग्राहकों की आसान पहुँच में होनी चाहिए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग फीट हो, और छत व फर्श की ऊँचाई 11 फीट होनी चाहिए। परिसर मोटरबल रोड (न्यूनतम 30 फीट चौड़ी) पर स्थित होना चाहिए। दुकान का ढाँचा पक्का होना चाहिए, जिसमें नमी या सीलन न हो और वह वेंटिलिंग, मांस या शराब की दुकानों जैसी जगहों से सुरक्षित दूरी पर हो। दुकान का दरवाजा रोलिंग शटर युक्त अथवा बड़ा दरवाजा युक्त होना आवश्यक होगा।
- (8) इस विज्ञप्ति के अधीन प्रकाशित उचित मूल्य की दुकानों के रिक्त और नवसृजित स्थान की सभी रिक्तियों को निरस्त करने या किसी भी केंद्र की रिक्ति को निरस्त करने/केंद्र परिवर्तन के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के पास सुरक्षित हैं।

3. उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अहर्ताएं :

- (1) **निवास:** शहरी क्षेत्र की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के लिए दुकान की रिक्ति घोषित है। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक का उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है।
- (2) **आयु:** 21 से 45 वर्ष (आवेदक की उम्र आवेदन की अंतिम तिथि को 21 से कम और 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए)
- (3) **शैक्षणिक योग्यता:** स्नातक व आरकेसीएल से आरएससीआईटी का 03 माह का आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण नहीं हो तो अधिकतम 08 माह की अवधि में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने का घोषणा पत्र देना होगा। आवेदक समितियाँ/समूह/निकाय होने की स्थिति में, प्रबन्धक/सचिव को शैक्षणिक योग्यता व कम्प्यूटर दक्ष (आरएससीआईटी) पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- (4) **वित्तीय:** (i) आवेदक के पास संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/- रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि अचल संपत्ति के आधार पर जारी हुआ हो। दो वर्ष से अधिक पुरानी अवधि का हैसियत प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। बैंक की एफडी के आधार पर जारी हैसियत प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(ii) महिला स्वयं सहायता समूह के लिए, सक्षम अधिकारी की सिफारिश के साथ-साथ समूह की न्यूनतम वित्तीय हैसियत 25,000 रुपये होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। इस अनुभव का आकलन करने के लिए तीन मुख्य आधार हैं: पहला, समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पहले हुआ हो; दूसरा, समूह का बैंक खाता कम से कम तीन वर्ष पूर्व खुला हो; और तीसरा, समूह के सदस्य पिछले तीन वर्षों से नियमित रूप से आंतरिक लेन-देन में संलग्न हों।
(iii) सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समिति, को हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के सम्बन्ध में उनकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उपपंजीयक की यह अभिशंखा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 1,00,000/- रुपये है और समिति की गत तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं है।
- (5) रिक्तियों में महिलाओं के लिए 30% क्षेतिज आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। महिला क्षेतिज आरक्षण व्यवस्था से पात्रता की पूर्व में विहित अन्य किसी शर्त में कोई छूट देय नहीं होगी। महिलाओं द्वारा अनारक्षित वर्ग के स्थानों के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा।

4. अपात्रताएं -

- (1) आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तहत किसी न्यायालय से दण्डित हो या विधिक रूप से अयोग्य घोषित हो, दिवालिया घोषित हो, ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो;
- (2) आवेदक रोजगार (सार्वजनिक/निजी सेवा/व्यवसाय आदि) धारक हो।
- (3) आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य, जैसे माता, पिता, संतान, जीवनसाथी, या परिवार के राशन कार्ड में दर्ज किसी भी अन्य सदस्य के नाम से पहले से कोई आवंटन हो।
- (4) आवेदक की दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान हो।
- (5) आवेदक संस्था यथा जीएसएसएस/लैम्पस/, दुग्ध उत्पादक समिति और महिला स्वयं सहायता समूह, जिनके पास पहले से ही प्राधिकार पत्र है, एक से अधिक प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
- (6) आवेदक के निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय नहीं होना।
- (7) आवेदन पत्र अधूरा होने या उक्त अपात्रता नहीं लागू होने का घोषणा पत्र नहीं दिया हो या आवश्यक दस्तावेजों की कमी होने पर भी आवेदन अपात्र माना जाएगा।
- (8) यह प्रमाणित होता है कि आवेदक रोजगारधारी है या उक्त किसी अपात्रता मानदंड में आता है, तो उसके आवेदन को रद्द करने, तथा यदि आवंटन हो गया है तो निरस्त/रद्द किया जायेगा।

उक्त विज्ञापित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में कोई व्यथित व्यक्ति इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 15 दिवस में लिखित आवेदन के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेगा। आपत्ति पर गुणावगुण के आधार पर सात दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा।

संलग्न-उक्तानुसार।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर
कोटा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव प्रमुख, शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त, कोटा।
3. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा (प्रशासन/शहर/सीलिंग)
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटा।
6. आयुक्त, नगर निगम कोटा उत्तर और नगर निगम कोटा दक्षिण।
7. उपखंड अधिकारी, लाडपुरा/दीगोद/रामगंजमंडी /सांगोद /कनवास /इटावा।
8. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, डीओआईटी, खाद्य विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, कोटा को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
10. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, डीओआईटी, कोटा, को जिला कलेक्टर कोटा के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
11. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा।
12. उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, कोटा।
13. जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, कोटा।
14. प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, राराखानाआनि कोटा को सूचनार्थ और नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
15. नाजिर, जिला कलेक्टर कार्यालय, नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
16. आवक-जावक शाखा प्रभारी, जिला रसद कार्यालय, कोटा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
17. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडपुरा / सुल्तानपुर / इटावा / खैराबाद/ सांगोद / कनवास को सूचनार्थ और नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
18. तहसीलदार समस्त, जिला कोटा।
19. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका (कैथून, सांगोद, रामगंजमंडी, इटावा, सुकेत)।
20. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक, समस्त कार्यालय हाजा।
21. सदस्य समस्त, उचित मूल्य दुकानदार आवंटन सलाहकार समिति।

**जिला कलेक्टर
कोटा**

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा

वर्ष 2026 में जिला कोटा में विज्ञापित रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के स्थान/केंद्र की सूची

क्र.सं.	तहसील/नगर निगम	वार्ड नंबर	एफपीएस केंद्र	नवसृजित/रिक्त	महिला आरक्षित/अनारक्षित
1	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 72	खाई रोड	रिक्त (पोस कोड 25449)	अनारक्षित
2	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 72	नयापुरा	रिक्त (पोस कोड 1379)	अनारक्षित
3	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 37	सोगरिया	रिक्त (पोस कोड 25488)	महिला आरक्षित
4	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 09	मानपुरा	रिक्त (पोस कोड 17315)	अनारक्षित
5	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 46	पाटनपोल	रिक्त (पोस कोड 17189)	अनारक्षित
6	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 44	सकतपुरा	रिक्त (पोस कोड 6642)	महिला आरक्षित
7	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 73	करबला	रिक्त (पोस कोड 10918)	अनारक्षित
8	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 32	डी.सी.एम.	रिक्त (पोस कोड 10920)	अनारक्षित
9	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 28	विज्ञान नगर विस्तार योजना	रिक्त (पोस कोड 19342)	महिला आरक्षित
10	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 94	तलवण्डी	रिक्त (पोस कोड 10006)	अनारक्षित
11	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 96	केशवपुरा	रिक्त (पोस कोड 7393)	अनारक्षित
12	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 4	लखावा	रिक्त (पोस कोड 17300)	अनारक्षित
13	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 61	संजय नगर	रिक्त (पोस कोड 8782)	अनारक्षित
14	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 91	महावीर नगर तृतीय	रिक्त (पोस कोड 18784)	महिला आरक्षित
15	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 87	संतोषी नगर	रिक्त (पोस कोड 12982)	अनारक्षित
16	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 59	विज्ञान नगर	रिक्त (पोस कोड 27909)	अनारक्षित
17	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 52	रंगबाड़ी	रिक्त (पोस कोड 25458)	महिला आरक्षित
18	नगर निगम कोटा	वार्ड नं. 81	आदर्श कॉलोनी सिंधी कॉलोनी गुमानपुरा	नवसृजित	अनारक्षित
19	नगरपालिका रामगंजमण्डी	वार्ड नं. 27	रामगंजमण्डी	रिक्त (पोस कोड 24736)	महिला आरक्षित
20	नगरपालिका रामगंजमण्डी	वार्ड नं. 24	रामगंजमण्डी	रिक्त (पोस कोड 24739)	आरक्षित

क्र. स. 1 से 8 पर अंकित विज्ञप्ति क्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र कोटा उत्तर की आवंटन सहायकार समिति के समक्ष, क्र. स. 9 से 18 पर अंकित विज्ञप्ति क्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र कोटा दक्षिण की आवंटन सहायकार समिति के समक्ष एवं क्र. स. 19 और 20 पर अंकित विज्ञप्ति क्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र रामगंजमण्डी (शहरी) की आवंटन सहायकार समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

जिला कलेक्टर
कोटा

Signature Not Verified

Digitally Signed by Preetish
Samariya
Designation : Collector and District
Magistrate
Date : 06-10-2026 06:01:16

4
RajKaj Ref No.:
24898211